संख्याः- 1515 /18(2)/2008-01(133)/08

प्रेषक,

सुभाष कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांकः 26 /दिसम्बर/2008

विषयः-श्रीमती रिबेका मेथाई, निवासी-आवास संख्या-5, ऑडिट कालोनी इन्दिरानगर देहरादून को ग्राम तिलवाडी, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून में स्वयं के आवास एवं फार्म हाउस के स्थापना हेतु भूमि क्रय की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-96/12ए-11(2005-08)/डी0एल0आर0सी0 दिनांक 22.11.2008 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय श्रीमती रिबेका मेथाई, निवासी-आवास संख्या-5, ऑडिट कालोनी इन्दिरानगर देहरादून को ग्राम तिलवाडी, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून में स्वयं के आवास एवं फार्म हाउस के स्थापना हेतु कुल 0.2870 है0 भूमि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15.1.2004 की धारा-154(4)(3)(क)(V) के अन्तर्गत आपके उपरोक्त पत्र के द्वारा अनुमोदित/संस्तुत खसरा नं0 534मी0, खसरा नं0 535मी0 से क्रय करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तों के साथ प्रदान करते हैं:-

1- क्रेता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।

2- क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3- क्रेता द्वारा क्रय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा,

.................2

उसी प्रयोजन (फार्म हाउस एवं निजी आवास) के लिये करेगा, जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था, उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होगा।

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जाति/जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5– जिस भूमि का संक्रमन प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6– शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

7– प्रस्तावित भूमि का उपयोग केवल फार्म हाउस की स्थापना एवं निजी आवास के उपयोग हेतु ही किया जायेगा, तथा किसी भी स्थिति में फार्म हाउस का व्यवसायिक उपयोग नहीं किया जायेगा।

8– भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

9– क्रय की गयी भूमि पर निर्माण कार्य किये जाते समय राज्य की प्रचलित भूमि विधियों/विकास विधियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10– उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
प्रमुख सचिव।

पृ0प0सं0– 1515 /संमदिनांकत/2008

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

.............3

1– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2– आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

3– श्रीमती रिवेका मेथाई, निवासी–आवास संख्या–5, ऑडिट कालोनी इन्दिरानगर देहरादून।

4– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय।

5– प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय।

6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।